भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 227

उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स

†*227 श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में विश्वविद्यालयों, संबद्ध महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) और 'मल्टीपल एंट्री-एग्जिट' के प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या पंजीकृत संस्थाओं की संख्या तथा संचित और हस्तांतरित किए गए क्रेडिट का ब्यौरा एबीसी पोर्टल पर उपलब्ध है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपनी पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों के पुनः नामांकन और उनकी शिक्षा की निरंतरता में एबीसी के उक्त उपबंधों से कितनी सहायता मिली है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त राज्य में विभिन्न विषयों और विश्वविद्यालयों में एबीसी और 'मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम' को एक समान और प्रभावी ढंग से अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई आवधिक समीक्षा, परामर्श या दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) क्या महाराष्ट्र में सभी राज्य विश्वविद्यालयों और संबद्ध संस्थाओं में उक्त सुधारों के पूर्ण और समान कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है अथवा कोई कार्ययोजना बनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 227 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): भारत सरकार ने आजीवन अधिगम को बढ़ावा देने वाली समग्र, बहुविषयक और लचीली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 तैयार की है। इसका उद्देश्य लचीले पाठ्यक्रम संबंधी संरचनाओं को उदार बनाकर शिक्षा को छात्र-केंद्रित करना है जो शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के शैक्षणिक पथ पर आगे बढ़ने की स्वतंत्रता की अनुमति देने के लिए बहु प्रवेश और निर्गम मार्ग प्रदान करते हैं।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को प्रारंभिक, स्कूली, उच्च और कौशल शिक्षा को शामिल करने वाली एक व्यापक क्रेडिट प्रणाली के रूप में शुरु किया गया है। एनसीआरएफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के माध्यम से क्रेडिट, अंतरण और ऋणमुक्ति के मानकीकरण को बढ़ावा देता है और बहु प्रवेश– बहु निर्गम (एमईएमई) मार्गों को सक्षम बनाता है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने "उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रदान किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु-प्रवेश और निर्गम के लिए दिशानिर्देश" अधिसूचित किए हैं। इन दिशानिर्देशों ने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को छात्रों की अपनी पसंद, सुविधा या आवश्यकता के अनुसार संस्थान बदलते हुए उनकी अपनी गति से शिक्षा प्राप्त करने की अवसर बनाने में सक्षम बनाया है।

विभिन्न मान्यता प्राप्त प्रदाता निकायों से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) भी स्थापित किया गया है ताकि एचईआई से डिग्री अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एक 12-अंकीय विशिष्ट डिजिटल पहचान शुरू की है ताकि पहचान को सरल बनाया जा सके और एबीसी योजना के तहत उनकी शैक्षणिक और कौशल यात्रा को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने में सक्षम बनाया जा सके। इस 12-अंकीय विशिष्ट आईडी को "स्वचलित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री" (एपीएएआर आईडी) कहा गया है। एपीएएआर आईडी को शैक्षणिक, कौशल और अनुभवात्मक अधिगम से अर्जित क्रेडिट को संचित करने के लिए तैयार किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी संस्थागत तत्परता, डिजिटल अवसंरचना की आवश्यकताओं और छात्रों के बीच क्रेडिट गतिशीलता जागरूकता आदि का आकलन करने के लिए राज्य सरकारों और एचईआई सहित विभिन्न हितधारकों से नियमित रूप से परामर्श करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) एबीसी योजना को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय का तकनीकी भागीदार है। शिक्षा मंत्रालय ने डीआईसी की सहकार्यता से व्यापक पहुंच के माध्यम से एबीसी के अभिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं; जिसमें एचईआई के

लिए राष्ट्रव्यापी कार्यशालाएं, नियमित प्रशिक्षण सत्र और जागरूकता अभियान शामिल हैं। इसके अलावा, क्रेडिट की समय पर रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने सभी पुरस्कार देने वाले संस्थानों को अगले कैलेंडर वर्ष में जून माह से पहले एक कैलेंडर वर्ष में आयोजित परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक रिकॉर्ड अपलोड करने की सलाह दी है।

अब तक, उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र से 2,600 से अधिक पुरस्कार प्रदान करने वाले संस्थानों को एबीसी पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में 4.6 करोड़ से अधिक एपीएएआर आईडी बनाई गई हैं, जिनमें से 7 करोड़ से अधिक क्रेडिट रिकॉर्ड इन आईडी से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य के संबंध में, शुरुआत से ही 350 से अधिक ऐसे संस्थान एबीसी पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिनमें से 54 लाख से अधिक एपीएएआर आईडी बनाई गई हैं और 87 लाख से अधिक क्रेडिट रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। यूजीसी के उत्साह पोर्टल पर एचईआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 244 एचईआई में बहु प्रवेश प्रावधान हैं, जबकि 108 एचईआई में बहु निर्गम प्रावधान हैं, जिनमें महाराष्ट्र के क्रमशः 38 और 16 एचईआई शामिल हैं। पंजीकृत संस्थानों का विवरण, बनाई गई एपीएएआर आईडी और जमा क्रेडिट एबीसी डैशबोर्ड https://www.abc.gov.in/dashboard.php.पर उपलब्ध हैं।

*****